

प्रेम,

श्री अजीत मंडी,
समुच्चय, रायपुर,
उत्तर प्रदेश भारत ।

मेरा है,

सवि,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
मिना के-2 समुदाय केन्द्र,
गोवा विहार नई दिल्ली ।

मिना 471 अनुभाग

तारीख: दिनांक: 14 अक्टूबर, 1998

विषय:- आज विद्या मन्दिर समूह गुरदासपुर को त्रि-वि-संस्कृत नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में ।

प्रति,

अधुना विषय पर पूरे पत्र पढ़ने पर निम्न हुआ है कि आज विद्या मन्दिर समूह गुरदासपुर को त्रि-वि-संस्कृत नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में जो राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अनापत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की संकीर्ण सीमाओं को अन्य समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
2. विद्यालय की प्रमुख भवन में मिना निदेश द्वारा नामित एक मंदिर होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाचित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए नियमित रूप से अधिक स्थान नहीं दिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनापत्ति मिना परिषद से सम्बन्ध प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/मिना पर दि. 31/12/97 तक त्रि-वि-संस्कृत नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परिषद परिसरों से सम्बन्ध प्राप्त होने की तिथि से परिषद से सम्बन्ध तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
5. संस्था केवल स्व-निर्भरता कमीशन को राज्य सरकार से प्राप्त मिना संस्थाओं के कमीशन को अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य वर्गों के कम वेतन तथा अन्य मांगें नहीं दिये जायेंगे ।

... 2/-

Principal
Bal Vidya Mandir
Sr. Sec. Sambhal

Manager
Bal Vidya Mandir
Sambhal

16। कर्मचारियों को सेवा में बराबरी कावेगी और उन्हें उदात्तता प्राप्त आतिथेय उपलब्धता आधुनिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमति सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेगा ।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्मित किये जायें, तैरवा उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिपोर्ट निर्धारित प्रमाण/परिणतों में रखा जायेगा ।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन वा परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होता कि तैरवा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि

1- वैदिक शिक्षा पारम्परिक द्वारा मान्यता प्राप्त बुनियाद हासिल हेतु ज्ञान भवन बनाया जाय ।

2- मातृभाषा 30-11-91 के प्रतिबन्धों के लोकापदी बाधना में संश्लेषित कराया जाय ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैरवा के लिए उत्तरदायी होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि तैरवा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है प्रस्ताव पालन करने में किसी प्रकार की पुनः वा विविक्षता भरती न रहती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पर उपर्युक्त में लिया जायेगा ।

अर्थात्,

प्रमाणित किया जाता है।
संयुक्त तैरवा ।

प्रमाणित 4315111/15-7-1998 तैरवा

प्रतिबन्धित नि-निर्धारित की सुचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उच्च प्रवेश, गुरुकुल ।
- 2- अर्जातय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गुरुकुल ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, गुरुकुल ।
- 4- निरीक्षक, जिला भारतीय विद्यालय उच्च प्रवेश ।
- 5- प्रमुख, वास विद्यालय मन्दिर, गुरुकुल ।

अर्थात्,

प्रमाणित

प्रमाणित किया जाता है।
संयुक्त तैरवा ।

Principal
Bal Vidya Mandir
Sr. Sec. School, Sambhal

Manager
Bal Vidya Mandir
Sambhal